झारखण्ड सरकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अंतर्गत
चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के
पंचम (बजट) सत्र, 2016

में

माननीया राज्यपाल, झारखण्ड

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

का

अभिभाषण

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

झारखण्ड, राँची

झारखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण!

नये वर्ष, 2016 में आयोजित चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ। नये वर्ष के प्रथम सत्र में इस गरिमामय सदन को सम्बोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मुझे आशा है कि राज्य के इस सबसे बड़ी पंचायत में आप सभी झारखण्ड के चहुँमुखी विकास एवं जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने से संबंधित मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखकर प्रदेश के विकास में अपना सक्रिय सहयोग देंगे।

2. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन के उपरांत जनआकांक्षाओं को पूरा करने एवं राज्य की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ क्रियाशील है।

3. आज इस सदन में मुझे यह बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि पिछले वर्ष हमारी सरकार ने जो घोषणाएँ की थी एवं लक्ष्य निर्धारित किये थे, उन्हें प्राप्त करने में हम सफल रहे हैं और आने वाले दिनों में झारखण्ड को एक समृद्ध व खुशहाल राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार फिलहाल **10 इरादों** को लेकर आगे बढ़ रही है। **शासन में जनभागीदारी, स्वच्छता, भ्रष्टाचार उन्मूलन, सुगम यातायात, बिजली, खेत–खलिहान, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तीकरण** सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार स्वच्छ, संवेदनशील, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास कर रही है तथा हमारी सरकार की मंशा गाँव, गरीब व किसान का विकास करना एवं समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना है। एक खुशहाल एवं विकसित झारखण्ड के सपने को साकार करने की दिशा में हमारी सरकार दृढ़तापूर्वक कदम बढ़ा चुकी है।

4. संसदीय शासन प्रणाली में जनता ही समस्त शक्तियों का स्रोत है। राज्य के सर्वांगीण विकास एवं प्रगति की जिम्मेवारी सरकार की है, जिसे जनसहभागिता एवं सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारी सरकार ने राज्य की जनता को योजनाओं के निर्माण में सहभागी बनाने के लिए एक वृहद् अभियान के रूप में **योजना बनाओ अभियान** की अनूठी पहल की है और इसे **हमारी योजना हमारा विकास** का नाम दिया है। राज्य के मंत्रीगण, स्थानीय विधायक, राज्य के पदाधिकारीगण, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, यहाँ तक कि स्वयं मुख्यमंत्री गाँव-गाँव घूमकर लोगों को इस अभियान से जोड़ने का काम कर रहे हैं और उनका विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार राज्य की जनता की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन हो सकेगा और प्रथम बार राज्य को एक व्यावहारिक बजट प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है कि इसका फलाफल भी शीघ्र ही राज्य की जनता को प्राप्त होगा। अबतक लगभग दो लाख योजनाओं का चयन खुद ग्रामीणों ने किया है।

5. हमारी सरकार **जनता की सरकार** की संकल्पना को ले कर कार्य कर रही है। जनता की समस्याओं के अनुश्रवण तथा उनका त्वरित निष्पादन करने हेतु हमारी सरकार ने **मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम** की अनूठी पहल की है, जिसके तहत् प्रत्येक बुधवार को राज्य के मंत्री स्वयं उपस्थित रहकर राज्य की जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनके त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश तत्क्षण देते हैं। प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष तौर पर जनता से जुड़ कर उनकी समस्याओं को सुनते हैं तथा प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को मुख्यमंत्री राज्य के पदाधिकारियों के साथ संवाद कायम कर जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हैं। सरकार के इस कदम से राज्य की जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है।

6. गाँव, गरीब और किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। खासकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के वैसे लोग जिनतक किसी न किसी कारण से विकास का लाभ नहीं पहुँच

सका है, हमारी सरकार विकास की इस यात्रा में सबों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही है। हमारी सरकार जनता को जागरूक कर सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाना चाहती है, जिससे एक स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था का गठन हो सके तथा एक स्वच्छ, पारदर्शी व शुचितापूर्ण सरकार पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

7. राज्य के चतुर्दिक विकास के प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध है। हमारी सरकार स्वच्छ, संवेदनशील, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, जिससे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यो का निष्पादन निर्धारित समय–सीमा के अंदर किया जाना सुनिश्चित हो सके एवं लोकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुँचाया जा सके।

8. हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त झारखण्ड के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है तथा सरकार भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की नीति पर कार्य कर रही है। इस दिशा में सरकार ने निगरानी ब्यूरो को **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो** के रूप में पुनर्गठित करते हुए इसकी शक्तियों में विस्तार एवं दायित्वों का पुनर्निर्धारण किया है। झारखण्ड से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में Anti Corruption Bureau को आशातीत सफलता प्राप्त हो रही है और हमें विश्वास है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त झारखण्ड के निर्माण में जरूर सफल होंगे।

9. प्रशासनिक् सुधार की दिशा में हमारी सरकार ने सराहनीय प्रयास किया है। पूर्व में कार्यरत 43 विभागों को उसके समरूप प्रकृति एवं कार्य की आवश्यकता के आधार पर पुनर्गठित व आमेलित करते हुए 30 विभागों के रूप में क्रियाशील बनाया है। सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम से जहाँ एक ओर निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान हुई है वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक कार्यकुशलता में भी गुणात्मक वृद्धि हुई है। सरकार संसदीय एवं विधायी व्यवस्था को सुदृढ़

करने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। झारखण्ड में पहली बार राज्यस्तरीय सचेतक सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। साथ ही विधान सभा सदस्यों के लिए विधायी प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन भी सरकार के द्वारा किया गया है। राज्य की शासन व्यवस्था में विधायी भूमिका को और अधिक उपयोगी, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है।

10. राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हो, उद्योग धंधों का विकास हो तथा विकास का समुचित लाभ राज्य की जनता को प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा नीतियों में अपेक्षित सुधार किया जा रहा है। साथ ही, जहाँ भी अपेक्षित है, नई नीतियों का निर्माण एवं नियमों–विनियमों में आवश्यक संशोधन भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार की MAKE IN INDIA तथा START UP INDIA की अवधारणा को मूर्त्तरूप देने एवं राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में अवस्थित चारों औद्योगिक क्षेत्र विकास प्रधिकारों (IADA) के लिए भूमि आवंटन नीति लागू कर दी गई है। हमारी सरकार निजी क्षेत्र को भी विकास में बराबर की भागीदार बनाना चाहती है। निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से ही **झारखण्ड औद्योगिक पार्क नीति, 2015** लागू की गई है। राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात को बढ़ाना भी आवश्यक है। राज्य से निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से **झारखण्ड निर्यात नीति, 2015** लागू की जा चुकी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु **झारखण्ड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2015** एवं फीड उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु **झारखण्ड फीड प्रोसेसिंग उद्योग नीति, 2015** बना दी गई है।

11. राज्य में निवेशकों के लिए संबंधित विभागों से त्वरित अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति के लिए हमारी सरकार के द्वारा **सिंगल विण्डो सिस्टम** लागू किया गया है तथा इसके अन्तर्गत **Advantage Jharkhand** पोर्टल विकसित किया गया है। इस व्यवस्था के तहत निवेशकों

को सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं एवं ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। सरकार द्वारा नीतियों में किये गये सकारात्मक बदलाव के परिणामस्वरूप ही झारखण्ड में निवेश के अनुकूल माहौल बना है तथा उद्योग-धन्धे फल-फूल रहे हैं। हमारे राज्य को **Ease of doing business** के अन्तर्गत प्रक्रियाओं के सरलीकरण में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जो झारखण्ड के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

12. कृषि का विकास एवं किसानों की खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल नहीं मिल पाया है। मॉनसून पर निर्भरता के कारण यहाँ के ज्यादातर किसान वर्ष में सिर्फ एक ही फसल का उत्पादन कर पा रहे हैं। हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि यदि राज्य में सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो तो हमारे किसान झारखण्ड की उर्वरा भूमि से वर्ष में एक से अधिक फसल प्राप्त करने में सक्षम होंगे। **खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में** – इस Vision के साथ हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है और इसके लिए योजना बनाओ अभियान के अन्तर्गत 70 प्रतिशत जलछाजन की योजनायें ली जा रही है। इससे सिंचाई की समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सकेगा और कृषि के विकास से न सिर्फ गाँवों में खुशहाली आयेगी, बल्कि बेरोजगारी और पलायन की समस्या भी दूर होगी।

13. कृषि क्षेत्र के समुचित विकास एवं जरूरी वित्त पोषण के लिए हमारी सरकार द्वारा कृषि बजट की अवधारणा विकसित की गई है तथा मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि झारखण्ड **कृषि बजट** प्रस्तुत करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा।

14. राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने तथा ग्रामीण परिवारों की आय वृद्धि करने हेतु हमारी सरकार द्वारा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रयास भी किये जा रहे हैं। राज्य के किसानों को कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से संबंधित नई

तकनीक उपलब्ध कराने एवं उनका मनोबल बढ़ाने हेतु राज्य के सभी जिलों में **कृषि महोत्सव रथ यात्रा, 2015** का आयोजन किया गया। **कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना** के तहत् राज्य के सभी जिलों में 600 ट्रैक्टर सरकारी अनुदान पर वितरित किये गये हैं। झारखण्ड राज्य में जैविक खेती की संभावना को ध्यान में रखकर जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु **झारखण्ड जैविक कृषि प्राधिकार** गठित एवं कार्यरत है। **Kissan Portal** के माध्यम से राज्य के पाँच लाख से ज्यादा किसानों का निबंधन कर कृषि उपयोगी जानकारी एस.एम.एस. के माध्यम से दी जा रही है। राज्य के दो प्रशिक्षण संस्थानों यथा पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र, काँके, राँची एवं पशुपालन विद्यालय, गौरियाकरमा, हजारीबाग द्वारा 3,000 पशुपालकों को सुकर पालन, कुक्कुट पालन एवं बकरी पालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उनके कार्य कौशल में वृद्धि लाई जा रही है।

15. हमारी संस्कृति में स्वच्छता को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। स्वच्छता का तात्पर्य सिर्फ शारीरिक स्वच्छता से ही नहीं है, बल्कि यह आर्थिक समृद्धि से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। भारत सकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारी सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों के फलस्वरूप झारखण्ड की 54 पंचायत खुले में शौच से मुक्त घोषित की गयी हैं। **''नमामि गंगे परियोजना''** अंतर्गत 23,445 व्यक्तिगत शौचालय बनाये गये हैं तथा 49 गांवों को खुले शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है तथा 200 पंचायतों को मार्च, 2016 तक खुले शौच से मुक्त किया जायेगा। हमारी सरकार प्रत्येक घर में शौचालय उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है तथा वर्ष 2019 तक पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु कृत संकल्पित है।

16. किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में शिक्षा का सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों तक सार्वभौमिकरण, सभी स्तर पर शिक्षकों की

नियुक्ति, बालिका शिक्षा को पर्याप्त अवसर, शिक्षा को व्यवसाय के अवसर से जोड़ने, शिक्षा प्रशासन को पारदर्शी बनाने तथा शिक्षा में गुणात्मक विकास को चुनौती के रूप में लेते हुए, इन सभी को मूर्तरूप देने हेतु हमारी सरकार सतत् प्रयत्नशील है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रारम्भिक विद्यालयों में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर लगभग 15 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। माध्यमिक विद्यालयों में भी 1717 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है तथा लगभग 18 हजार शिक्षकों को आगामी 6 माह में नियुक्त करने की हमारी सरकार की योजना है।

17. बालिका शिक्षा की प्रगति हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में **मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना**, 57 प्रखण्डों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की कक्षा-8 में अध्ययनरत् बालिकाओं को नि:शुल्क टैब उपलब्ध कराने तथा इन विद्यालयों में व्यायामशाला तथा चहारदीवारी संबंधी योजना, कक्षा-9 से कक्षा-12 तक की सभी कोटि की छात्राओं को नि:शुल्क पोशाक, पाठ्य पुस्तक एवं कॉपी वितरण की योजना को नयी योजनाओं के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हुए इनका कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। साक्षरता दर में बालिकाओं की प्रतिशत भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से **पहले पढ़ाई फिर बिदाई** कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। साथ ही **बाल समागम** एवं **कस्तूरबा संगम** कार्यक्रम के माध्यम से छात्र-छात्राओं को विद्यालय से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

18. झारखण्ड में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के रूप में एक अलग विभाग का गठन किया गया है। झारखण्ड के युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो चुका है। साथ ही अहमदाबाद के नेशनल डिजाईन इंस्टीट्यूट के सहयोग से

रांची में **झारखण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाईन** की स्थापना का भी निर्णय सरकार द्वारा लिया जा चुका है। निजी क्षेत्रों के तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को एक Platform पर लाने हेतु सभी आधारभूत संरचनाओं को सरकार की ओर से उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा परिसर की स्थापना की जायेगी। इसके लिए राँची के आस–पास 500 एकड़ भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। इसका उद्देश्य उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शोध एवं विकास कार्य के साथ–साथ Inter-disciplinary studies को प्रोत्साहित करना है।

19. पूर्व से स्थापित दस राजकीय पोलिटेकनिक एवं तीन राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों की आधारभूत संरचना को सूदृढ़ एवं उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सभी तेरह राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों एवं नवनिर्मित राजकीय पोलिटेकनिक, सिल्ली में एक महिला छात्रावास का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से किया जाना है। राज्य के सभी राजकीय पोलिटेकनिकों के Upgradation हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक संस्थान के लिए अलग–अलग सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय संपोषित योजना "Community Development Programme Through Polytechnic" चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय के Drop out students एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले युवक युवतियों को स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु नि:शुल्क तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हमारी सरकार द्वारा सभी पॉलीटेक्निक कॉलेज और बी.आई.टी., सिन्दरी को वाई–फाई, स्मार्ट क्लासेस, ई–लाईब्रेरी (e-library) आदि मुहैया कराने का कार्य बेहद तत्परता से किया जा रहा है।

20. आधारभूत संरचना के बिना विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। विकास की नई उँचाइयों को छूने के लिए राज्य में सड़कों की स्थिति बेहतर होना जरूरी है। हमारी सरकार ने

चालू वित्तीय वर्ष में 1100 किलोमीटर पथ निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2015 तक लगभग 810 किलोमीटर पथों के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है। वर्ष 2015–16 में अब तक लगभग 4133 करोड़ रु. की लागत से 1727 कि.मी. पथ एवं 44 पुलों के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार के प्रयास से राज्य के 1428 कि.मी. पथों को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित किया गया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा साहेबगंज में गंगा नदी पर रुपये 2200 करोड़ की लागत से चार लेन के पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई है। राज्य में लोक–निजी भागीदारी पर भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। रांची रिंग रोड सेक्शन–VII का कार्य प्रारम्भ है। रांची, बोकारो, धनबाद एवं जमशेदपुर को जोड़ने हेतु गोल्डेन ट्रैंगल एक्सप्रेस वे का निर्माण भी प्रस्तावित है। आने वाले दिनों में ये सड़कें राज्य के विकास को नया आयाम देगी।

21. राज्य की जनता को सस्ती दर पर पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं राज्य को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार एक साथ कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। झारखण्ड सरकार ने एन.टी.पी.सी. के साथ पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL) के नाम से एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का गठन किया है जो पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की वर्तमान इकाइयों का परफॉरमेंस इम्प्रूवमेंट एवं दो चरणों में वर्ष 2024 तक 4000 मेगावाट क्षमता विस्तार करेगी। इसी प्रकार तेनुघाट विद्युत निगम में 2x660 मेगावाट विस्तार का प्रस्ताव है । अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट तिलैया के Re-bidding की कार्रवाई भारत सरकार द्वारा की जा रही है तथा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कोडरमा हेतु भूमि चिन्हितीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ–साथ झारखण्ड में केन्द्रीय उपक्रम एवं निजी कंपनियों द्वारा 7500 मेगावाट की क्षमता के पावर प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं जो Completion के विभिन्न चरणों में है। इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने के बाद झारखण्ड न सिर्फ विद्युत उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होगा, बल्कि झारखण्ड के पास सरप्लस बिजली उपलब्ध रहेगी।

22. झारखण्ड सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में भी **अटल ग्रामीण ज्योति योजना** चालू रखने का निर्णय लिया गया है । इस योजना में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के कुल 1500 अदद् ए.पी.एल. और छूटे हुए बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क विद्युत संबंध दिया जाएगा। चयनित ग्राम मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल होंगे और सुदूर क्षेत्र में अवस्थित पंचायत होंगी।

23. झारखण्ड में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं तथा सरकार पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु प्रयासरत है। इससे हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जनसाधारण में प्रकृति के प्रति लगाव उत्पन्न करने तथा वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार ने **इको टूरिज्म पॉलिसी, 2015** को मंजूरी प्रदान की है। **इको–टूरिज्म** के लिए मूलभूत संरचनाएँ यथा–सड़क, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, पर्यटकों के ठहरने हेतु विश्रामागार, टेन्ट हाउस, ट्री हाउस एवं मनोरंजन हेतु साधन उपलब्ध कराये जायेंगे एवं इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु वन पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा। पारसनाथ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना तैयार कर ली गई है तथा झारखण्ड की धरोहर **मलूटी मंदिर समूह के जीर्णोद्धार** का कार्य प्रारम्भ हो गया है। इस क्षेत्र को तीर्थ एवं टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। देवघर जिलान्तर्गत त्रिकुट पहाड़ को पर्यटन के दृष्टिकोण से वृहत् पैमाने पर विकसित करने की भी सरकार की योजना है।

24. झारखण्ड सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में **तिलका माँझी कृषि पम्प योजना** का क्रियान्वयन जारी रहेगा। इस योजना में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के कुल 1250 अदद् लघु एवं सीमांत कृषकों जो पम्पधारक हों, को निःशुल्क विद्युत संबंध दिया जाना है। **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** के तहत् लगभग 3700 करोड़ रुपये की लागत से कुल 24 जिलों के लिए डी.पी.आर. को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । इस योजना में

258 ग्राम, 14,349 टोलों एवं 11 लाख 9 हजार 170 बी.पी.एल. उपभोक्ताओं एवं 16 लाख 79 हजार 426 Households को दिसम्बर 2016 तक ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य है। इसी तरह, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट योजना के तहत् 731 करोड़ रुपये की लागत से कुल 40 शहरों के लिए डी.पी.आर. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

25. राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। आतंकवाद एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ता का गठन किया गया है। राज्य के सभी थानों में सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने हेतु **बीट पेट्रोलिंग प्रणाली** प्रारम्भ की गई है तथा हाईवे पेट्रोलिंग प्रारंभ की गयी है। राज्य की पुलिस एक स्मार्ट पुलिस के रूप में परिवर्तित हो, इसे साकार करने हेतु राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद के 11 शहरी थानों को स्मार्ट थाना के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। जमशेदपुर एवं राँची शहर में शहरी पुलिस व्यवस्था को अत्यधिक कारगर एवं जनता की मांग पर तुरंत कार्रवाई करने हेतु 75 पी.सी.आर. एवं हाइवे पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध करा दिया गया है।

26. नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का पुनर्गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत कई नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़े हैं। यह झारखण्ड में शांति व्यवस्था कायम करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

27. आम जनता को सुविधा प्रदान करने एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु Jharkhand Online FIR System (JOFS) की व्यवस्था की गई है। साईबर क्राईम को रोकने के लिए **साईबर क्राईम थाना** का सृजन किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश है। **हिम्मत एप** की तर्ज पर **शक्ति एप** का पाईलट प्रोजेक्ट जमशेदपुर में लाँच किया गया है जो कि वर्त्तमान में कार्यरत है।

28. राज्य के काराओं में बंदियों की स्थिति में आवश्यक सुधार करने के लिए काराओं की कुल बंदी क्षमता 5888 से बढ़ाकर 14499 की गयी है। बरही, नगरउटारी, मधुपुर एवं चक्रधरपुर में नये जेल का निर्माण प्रगति पर है। जेलों में कारा प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए ई–गवर्नेंस एवं अन्य आधुनिक उपकरण अधिष्ठापित किया गया है। इसके अंतर्गत काराओं में CCTV लगाया गया है। Video Conferencing द्वारा बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात तथा उपस्थापन न्यायालय में कराया जा रहा है।

29. हमारी सरकार शहीदों को उचित सम्मान दिलाने हेतु दृढ़प्रतिज्ञ है। झारखण्ड के वीर सपूत परमवीर अलबर्ट एक्का की पवित्र अस्थियों को अगरतल्ला (त्रिपुरा) से उनके पैतृक गाँव जारी (गुमला) में स्थापित कर हमारी सरकार ने परमवीर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है।

30. हमारी सरकार ने राज्य आपदा, वज्रपात एवं पेयजल संकट को स्थानीय तौर पर आपदा के रूप में शामिल किया है। जिला स्तर पर ही तत्काल राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला के उपायुक्तों को 25,00,000/– (पच्चीस लाख) रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। अब जिला स्तर पर ही राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्ड के अनुसार मुआवजे की राशि का तत्काल भुगतान किया जा सकेगा। प्राकृतिक आपदाओं में मारे गये मृतकों के आश्रितों को मुआवजा की राशि में वृद्धि कर दिया गया है। अब 1,50,000/– रु. को बढ़ाकर 4,00,000/– रु., घायल व्यक्तियों को 4300/–रु. से लेकर 2,00,000/–रु. तक तथा मकान की क्षति पर अधिकतम 95,100/–रु. दिया जा सकेगा।

31. महिला सशक्तिकरण से राज्य के गाँवों में खुशहाली आयेगी। परिवार और समाज खुशहाल होगा तभी राज्य का विकास होगा। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक उन्नयन एवं उनके सशक्तिकरण हेतु महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को डेयरी विकास के कार्यक्रमों से जोड़कर उन्हें दूध उत्पादन व्यवसाय में शामिल करने हेतु सघन रूप से अभियान जारी है। इसी

क्रम में ग्रामीण महिलाओं को दुधारू गाय वितरण योजना के अन्तर्गत 90 प्रतिशत अनुदान पर महिलाओं को दो दुधारू गाय का वितरण किया जा रहा है। 50 हजार परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। इससे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ राज्य की उत्पादकता में भी अपना योगदान दे रही हैं।

32. राज्य के जलाशयों में केज में मछली पालन की योजना को पूरे देश में सराहा जा रहा है। विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राज्य के जलाशयों में केज कल्चर एवं प्रशिक्षण कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य को पुरस्कृत किया गया है। राज्य में कुल 1,40,000 मीट्रिक टन मछली की माँग के विरुद्ध विगत वर्ष 1,00,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। बारिश में कमी होने के बावजूद भी चालू वित्तीय वर्ष में 1,20,000 मीट्रिक टन मछली के उत्पादन की संभावना है। मछुआ परिवारों को रहने का स्वस्थ परिवेश प्रदान कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मछुआ कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 519 मछुआ परिवारों के लिए पक्का आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। मत्स्य बीज उत्पादन एवं मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 321 एकड़ नये मत्स्य रियरिंग तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है।

33. हमारे राज्य में सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण कृषि योग्य भूमि का समुचित उपयोग संभव नहीं हो पाया है। झारखण्ड में कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है जिसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 18 लाख हेक्टेयर है। वर्त्तमान में मात्र 1.95 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए एवं सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य के 23 जिलों में बह रहे छोटे-छोटे नाले तथा जोरिया पर 751 चेक डैम की स्वीकृति 497 करोड़ रुपये की लागत पर प्रदान की गई है, इससे कुल 37,737 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस वर्ष राज्य में 128 कि.मी. तक नहर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही लगभग 14 कि.मी. मानसमुड़िया

वितरणी तथा लगभग 12 कि.मी. बहरागोड़ा वितरणी में भी पटवन हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है।

34. राज्य में अवस्थित नदियों के विभिन्न स्थानों पर कुल 18 करोड़ रुपये की लागत से वीयर की 10 योजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं, जिससे 2303 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। काँची सिंचाई योजनान्तर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु लगभग 93 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, इससे राँची जिले के चार प्रखण्ड बुण्डु, तमाड़, सोनाहातु एवं अड़की प्रखण्ड के 125 गाँवों के 17,800 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए हर खेत तक पानी पहुँचाना सुनिश्चित हो सकेगा।

35. वर्ष 2016-17 में राढ़ू जलाशय योजना एवं बुढ़ई जलाशय योजना, दो वृहत् योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ करने का लक्ष्य हमारी सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रथम फेज में तैयार किये गये 17 पुरानी योजनाओं के पुनरुद्धार कार्य के DPR की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्ष 2016-17 में 17 अन्य पुरानी सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार कार्य का डी.पी.आर. तैयार कराकर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी। काँची सिंचाई योजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का कार्य, केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पाइप लाईन के माध्यम से सोन नदी के जल को गढ़वा तथा पलामू जिलों में पेयजल एवं सिंचाई सुविधा के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया जायेगा। गंगा नदी के पानी को साहेबगंज से पाईप लाईन द्वारा देवघर जिला लाने हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा संभाव्यता अध्ययन कराकर संभाव्यता प्रतिवेदन (PFR) तैयार कराया जायेगा।

36. हमारी सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अधीन ''**पात्र गृहस्थ योजना**'' लागू की गई है। लगभग 46 लाख लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल अथवा गेहूँ 1.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित 1 लाख निर्धनतम बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू गैस (एल.पी.जी.) मुफ्त में वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए संबंधित दुकानदारों का वर्त्तमान कमीशन 45 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। नमक की खरीद **Reverse Auction** के द्वारा की गई जिसके कारण खरीद की दर 12.50 रु. प्रति किलोग्राम से घटकर 05.70 रु. प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वर्ष 2016-17 से चना अथवा दाल आपूर्ति भी प्रारम्भ की जायेगी। धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था पुन: प्रारम्भ की गई है तथा अब तक 60 हजार टन से अधिक धान की अधिप्राप्ति हो चुकी है।

37. भूमि प्रबंधन के दृष्टिकोण से प्रत्येक जिला में भूमि बैंक की स्थापना की गई है एवं विभागीय बेवसाईट पर अद्यतन उपलब्ध भूमि की विवरणी तथा नोडल पदाधिकारी के नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर को अपलोड किया गया है। अनुसूचित जनजातियों की जमीन के अवैध हस्तांतरण एवं सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण की उच्च स्तरीय जाँच एवं भविष्य में इसे रोकने हेतु सुझाव देने के लिए विशेष जाँच दल (SIT) का गठन किया गया है। भूमि मुआवजा से संबंधित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु उपायुक्त को 25 करोड़ एवं प्रमंडलीय आयुक्त को 25 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक के लिए शक्ति प्रदान की गई है। झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सरकारी भूमि के नि:शुल्क हस्तांतरण हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त में सरकार की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

38. जनता को पारदर्शी एवं उत्तरदायी सेवा प्रदान करने हेतु राज्य के सभी अंचलों में ऑनलाईन म्यूटेशन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही भू-अभिलेखों, भू-नक्शों के डिजिटाईजेशन का कार्य प्रगति पर है। निबंधन, म्यूटेशन एवं लगान रसीद की ऑन लाईन व्यवस्था के लिए निबंधन एवं राजस्व कार्यालयों का इंटीग्रेशन कराया जायेगा।

39. हमारी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व एवं विकास में इसकी भूमिका को देखते हुए तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जनमानस तक सुलभता से पहुँचाने के लिए 14 नये मोबाईल एप्लीकेशन का शुभारम्भ किया गया है। इसका उद्देश्य जनता के लिए सर्वसुलभ सरकार की संकल्पना को मूर्त्तरूप देना है। सरकार द्वारा जनता के लिए प्रदान की जा रही सेवाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब राज्य की जनता अपने मोबाईल के इस्तेमाल से **कभी भी कहीं से भी** प्राप्त करने में सक्षम होगी।

40. अभी तक झारनेट नेटवर्क से सभी जिला मुख्यालयों, 37 अनुमंडल एवं 214 प्रखण्डों में कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी गई है। झारनेट के नेटवर्क पर विभिन्न विभागों यथा कोषागार निबंधन इत्यादि को ऑनलाईन किया जा रहा है। पूरे राज्य में प्रखण्ड स्तर तक के विभिन्न कार्यालयों को इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। ऑनलाईन माध्यम से सुगम एवं तीव्र गति से आकड़ों एवं सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा रहा है, जिससे हमारी सरकार की कार्य प्रणाली में दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ी है।

41. राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। गंभीर बीमारी उपचार योजनाओं की सूची में नयी–नयी गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है ताकि इसका अधिकतम लाभ जनता को मिल सके। इलाज के लिए चयनित लब्ध प्रतिष्ठित अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई गई है। असाध्य रोगों की चिकित्सा सहायता अनुदान योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके तहत् गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए अधिकतम 5 लाख रूपया एवं कैन्सर के लिए अधिकतम 4 लाख रूपया तक स्वीकृत किया जा रहा है। साथ ही राज्य औषधि नीति, 2015 का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी आउटडोर एवं इनडोर मरीजों को नि:शुल्क दवा उपलब्ध करायी जानी है। राज्य भर मे पाँच बीमारियों से शिशु को बचाने के लिए पेंटावैलेंट टीका दिया जाना प्रारम्भ

किया गया है। यह टीका बच्चों को डिपथीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाईटिस–बी एवं हिब से बचाएगा।

42. राज्य की सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं एवं लघु आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं को बीमा योजना का लाभ दिये जाने हेतु **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** एवं **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** प्रारम्भ की गई है। इसमें राज्य की सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं एवं लघु आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़कर राज्य सरकार द्वारा इनका अंशदान दिया जायेगा। सरकार द्वारा **राष्ट्रीय पोषण मिशन** का शुभारम्भ किया गया है तथा राज्य के 6 जिलों धनबाद, दुमका, गिरिडिह, चतरा, कोडरमा एवं गोड्डा में कुपोषण के कुचक्र को तोड़ने एवं पोषण स्तर में सुधार हेतु पोषण सखी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पोषण सखियाँ राज्य की किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं, धात्री माता एवं 0–06 वर्ष तक उम्र के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए पोषण संबंधी सलाह दे रही हैं। सरकार द्वारा पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को अंडा दिये जाने की योजना है। चालू वित्तीय वर्ष में पायलट योजना के रूप में इसे तीन जिलों यथा– रांची, दुमका एवं जमशेदपुर में शुरू किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष से इसे सभी जिलों में प्रारंभ कर दिया जाना है।

43. राज्य के आदिम जनजाति समूह यथा – असुर, बिरहोर, बिरजीया, हिल–खरिया, कोरवा, माल पहाडिया, परहिया, सौरिया पहाड़िया एवं सवर के परिवारों हेतु ''आदिम जनजाति पेंशन योजना'' प्रारम्भ की गई है, इसमें माह जुलाई, 2015 से 600/– रु. की दर से प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है।

44. विधवाओं के कल्याणार्थ विधवा पेंशन नामक नई योजना तथा एड्स पीड़ितों को आर्थिक सहायता हेतु नई योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। नि:शक्त लोगों के लिए विशेष शिक्षक

प्रशिक्षण विद्यालय/विशिष्ट नि:शक्त केन्द्र खोलने की हमारी सरकार की योजना है। राँची स्थित सरकारी मूकबधिर एवं अंधापन विद्यालय का +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की हमारी सरकार की योजना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में ग्रोथ चार्ट, Digital Weighing Machine तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। दुमका, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, सरायकेला एवं पलामू में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा।

45. हमारी सरकार जनता को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विस्तृत पेयजलापूर्ति योजना तैयार की गई है। इसके अन्तर्गत देवघर शहरी जलापूर्ति योजना चालू की जा चुकी है तथा साहेबगंज, पाकुड़, मिहिजाम एवं जामताड़ा शहरी जलापूर्ति योजना इसी वर्ष पूरी कर ली जायेगी। पंचायती राज संस्थाओं को जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं में प्रबंधन एवं योजना संचालन में भागीदारी प्रदान की जायेगी।

46. राँची स्थित कोर कैपिटल एरिया में विधान सभा के नये भवन का निर्माण कार्य सम्प्रति प्रगति पर है तथा राँची स्थित कोर कैपिटल एरिया में नये सचिवालय भवन के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने की योजना है। नई दिल्ली में नये झारखंड भवन का भूमि पूजन किया गया है। खूँटी व्यवहार न्यायालय सौर ऊर्जा से ऊर्जान्वित होने वाला देश का पहला न्यायालय बना है साथ ही सभी सरकारी भवनों में रूफ टॉप सोलर पावर पैनल की स्थापना की जा रही है जिससे की पारम्परिक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा की खपत को कम किया जा सके। विधानसभा और उच्च न्यायालय के नये भवन का निर्माण कार्य जारी है।

47. हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में रामगढ़ नगर परिषद्, नगर उंटारी नगर पंचायत एवं छत्तरपुर नगर पंचायत को नगर निकाय में उत्क्रमित किया गया है। 74वें संविधान

संशोधन के आलोक में 08 नगर निकायों में अप्रैल–मई, 2015 में नगरपालिका (आम) निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया है।

48. हमारी सरकार द्वारा **झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति–कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) संशोधन नियमावली, 2015** राज्य में अधिसूचित किया गया है, जिससे संबंधित नगर निगम क्षेत्र के सभी भवन होल्डिंग टैक्स के दायरे में आ गये हैं, जिसके फलस्वरूप नगर निकायों के राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस नियमावली के तहत् निजी मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी अनिवार्य बनाया गया है।

49. हमारी सरकार द्वारा राँची शहर के सुनियोजित विकास के लिए **मास्टर प्लान–2037** को अधिसूचित किया गया है। साथ ही राज्य के 27 शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने की कार्रवाई नियमानुसार चयनित परामर्शी के सहयोग से प्रक्रियाधीन है। सरकार HEC क्षेत्र की 341 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट में सभी आवश्यक सुविधाओं, सुरक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, परिवहन व्यवस्था इत्यादि को अत्याधुनिक तकनीक के साथ स्मार्ट सिटी बनाने हेतु कार्य किया जा रहा है।

50. भारत सरकार द्वारा संचालित **सबके लिए आवास योजना** के तहत् झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गयी है। भारत सरकार के साथ किये गये एकरारनामा के फलस्वरूप यह योजना हमारे राज्य के सभी नगर निकायों में क्रियान्वित है। भारत सरकार द्वारा प्रथम फेज में राज्य के 14 शहरी स्थानीय निकाय हेतु कुल 16,416 आवासीय इकाई की स्वीकृति दी गयी है।

51. राँची शहर की जीवन रेखा कही जाने वाली हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। राज्य के रिक्शा चालकों के जीवन स्तर तथा उनके आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ–साथ पर्यावरण की सुरक्षा हेतु **झारखण्ड रिक्शा चालक गरिमा योजना** (ई–रिक्शा)

को प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न शहरों में प्रथम फेज में कुल 415 रिक्शा आवंटित किया गया है।

52. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग 868 करोड़ का निवेश हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य में उत्पादित सामग्रियों के निर्यात हेतु बिरसा मुण्डा एयर पोर्ट पर एयर कार्गो कॉम्पलेक्स की स्थापना हेतु एयर पोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। तसर उत्पादन के क्षेत्र में झारखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में से है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2600 मीट्रिक टन तसर उत्पादन का लक्ष्य है। वर्ष 2015-16 में 14000 रेशम पालकों को उन्नत कीटपालन का प्रशिक्षण दिया गया। रेशम केन्द्रों द्वारा रेशम दूतों के माध्यम से 10 (दस) लाख बुनियादी तसर बीज का कीटपालन कराया गया तथा 2015-16 सत्र में 45 युवक/युवतियों को एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स का प्रशिक्षण आरम्भ किया गया।

53. झारखण्ड, कॉरपोरेट सोशल दायित्व कॉन्सिल लागू करनेवाला देश का प्रथम राज्य है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में CSR फंड का व्यय लगभग 377 करोड़ था जिसे लगभग ढाई गुणा बढ़ाकर 2015-16 में लगभग 914 करोड़ रु. किया गया है। होटवार में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स एवं स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का वित्त पोषण CCL द्वारा किया जा रहा है। CSR फंड से बननेवाली ये दोनों प्रमुख योजनाएँ है।

54. बरही ग्रोथ सेंटर को विस्तारित कर विकसित करने के लिए 399 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 80 एकड़ भूमि मारुति उद्योग एवं 30 एकड़ HPCL को आवंटित की गयी है।

55. रामगढ़ जिला के हरिहरपुर-लेम-बीचा क्षेत्र में 02 ब्लॉकों के चूना-पत्थर खनिज की नीलामी ई-ऑक्शन के माध्यम से की जा रही है, जिससे उक्त क्षेत्र में सीमेंट उद्योग के लिये कच्चे माल उपलब्ध हो पायेंगे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर के साथ राजस्व की प्राप्ति होगी। M/s

Indian Oil Corporation Ltd. (आई.ओ.सी.एल.)-कंसोर्टियम को बोकारो जिला में 59.00 वर्ग किलोमीटर एवं रामगढ़ जिला में 16.00 वर्ग किलोमीटर पर कोल बेड मिथेन (CBM) खनिज के पेट्रोलियम खनन् पट्टा की स्वीकृति दी गयी है। झारखण्ड राज्य में अब तक कुल 15 कोयला ब्लॉक आवंटित हैं।

56. झारखण्ड के सभी 24 जिलों में District Mineral Foundation Trust (DMF) का गठन किया जा चुका है। **प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना** (PMKKKY) के तहत खनन कार्यो से प्रभावित खनन क्षेत्रों एवं जन समुदाय के उत्थान एवं कल्याण के लिए DMF से प्राप्त राशि का उपयोग उक्त Trust में किया जायेगा। खनिजों के अन्वेषण, विकास एवं मूलवर्द्धन के लिए सम्प्रति राज्य में JIGS (Jharkhand Institute of Geomonological Sciences) के निर्माण कार्य की योजना है।

57. झारखण्ड राज्य में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल 23,605 वर्ग कि.मी. है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.61 प्रतिशत है। राज्य में वर्ष 2001 से 2015 तक लगभग 947 वर्ग कि.मी. वनाच्छादन (Forest Cover) में वृद्धि हुई है, जो 4.2 प्रतिशत है।

58. केन्दुपत्ता व्यापार में ठेकेदारों की भूमिका नगण्य करने, प्राथमिक संग्रहकों को केन्दुपत्ता संग्रहण के बदले उचित मजदूरी का भुगतान करने ताकि उनकी आय वृद्धि हो सके, विपणन से प्राप्त लाभांश संग्रहक को एवं केन्दुपत्ता समिति को सीधे अंतरण के माध्यम से उपलब्ध कराने तथा केन्दुपत्ता व्यापार को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य केन्दुपत्ता नीति, 2015 अधिसूचित कर दी गयी है।

59. वन विभाग के अंतर्गत सभी नक्शों को बेहतर सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए सभी नक्शों का डिजिटाइजेशन और जियोरिफरेंसिंग करने की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए वन भूमि से संबंधित नक्शों को Electronic form में बदल दिया गया है।

अभी तक वन भूमि के 95 प्रतिशत नक्शों को डिजिटाइज किया जा चुका है। राज्य के वन क्षेत्र की सीमाओं की आधुनिक तकनीक की सहायता से सर्वे किया जा रहा है एवं सीमा स्तम्भों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में वन अच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के साधन में वृद्धि के साथ–साथ राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव भी कम होगा। इन उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु राज्य में **मुख्यमंत्री जन वन योजना** की शुरूआत की गई है। यह निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत एक एकड़ में काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे, फलदार प्रजाति के 160 पौधों का रोपण किया जा सकेगा। मेड़ पर काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे लगाने पर इसे एक एकड़ के समतुल्य माना जायेगा। इस योजना के तहत् वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा एक लाभुक के लिए एक एकड़ एवं अधिकतम सीमा 50 एकड़ होगी।

60. मानवता को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने की दिशा में राज्य की पंचवर्षीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना तैयार की गयी है, जिसमें प्रासंगिक सेक्टर्स, यथा कृषि, वानिकी, स्वास्थ्य, जल, ऊर्जा, खनन, उद्योग, शहरी विकास एवं परिवहन सेक्टर्स शामिल किये गये हैं। उक्त बहु–विभागीय योजना के समन्वित कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में जलवायु परिवर्तन कार्य इकाई का गठन किया जायेगा, जो विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित सेक्टरों में राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के कार्यान्वयन में समन्वयन एवं अनुश्रवण के अतिरिक्त राज्य में जलवायु परिवर्तन के मुद्दो पर कार्रवाई करेगी। उक्त इकाई वानिकी सेक्टर के लिये विहित कार्यो का संचालन एवं अनुश्रवण भी करेंगी।

61. व्यवसायियों के लिए ऑनलाईन विवरणी दाखिल करने, स्वीकृत कर का भुगतान, ऑनलाईन केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्र एवं रोड परमिट (SUGAM S) निर्गमन हेतु सभी अंचलों में Facilitation Centre की स्थापना की गयी है जहाँ व्यवसायी जाकर उपरोक्त सुविधा प्राप्त

कर सकते हैं। निबंधित व्यवसायियों द्वारा रोड परमिट (SUGAM G) निर्गमन हेतु Mobile Application का प्रारंभ किया गया है। कर संग्रहण हेतु राज्य में 10 चेक-पोस्ट स्थापित किये गये हैं जिनपर वाहनों की जाँच की जाती है। हमारी सरकार द्वारा Business Intelligence Unit का गठन किया गया है जो कि राजस्व ह्रास पर निगरानी रखेंगे एवं वैसे व्यवसायी जो विधिसम्मत कार्य नहीं करते हैं उनपर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

62. राज्य के मदिरा व्यवसाय पर एकाधिकार समाप्त करने, उपभोक्ताओं को गुणवतापूर्ण मदिरा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने एवं राजस्व वृद्धि हेतु झारखण्ड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। अवैध शराब एवं चौर्य व्यापार पर प्रभावकारी नियंत्रण हेतु Excise Adhesive Label की नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

63. हमारी सरकार द्वारा राज्य के अभ्यर्थियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से समान शैक्षणिक अर्हता के विभिन्न विभागों के पदों पर एकीकृत परीक्षा के माध्यम से शीघ्र नियुक्तियाँ करने की कार्रवाई की जा रही है। सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब अनुकम्पा समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु परिवार के सदस्यों में विधवा अथवा परित्यक्ता बेटी को भी पहली बार शामिल किया गया है। अन्य बिन्दु यथा- आय की सीमा, आश्रित परिवार, अधिकतम उम्र सीमा एवं आवेदन के निष्पादन की समय सीमा को संशोधित कर सरल किया गया है।

64. झारखण्ड की उभरती खेल प्रतिभाओं को संवारने के लिए **Sports University** एवं **Sports Academy** की स्थापना की जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए सरकार ने इन खिलाड़ियों को दी जानेवाली सम्मान राशि में वृद्धि की है। ओलम्पिक में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः दो करोड़, एक करोड़ तथा पचहत्तर लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जायेगी।

65. अन्त में मैं आप सभी को इस अवसर पर यह याद दिलाना चाहूँगी कि देश और राज्य में लोकतंत्र का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सदन के भीतर और बाहर इस गरिमामयी सदन के माननीय सदस्यगण का आचरण और व्यवहार कैसा है। हमें गर्व है कि आप सभी माननीय सदस्यों ने विगत सत्रों में अपने व्यवहार एवं आचरण से देश के विधायी इतिहास में अच्छे एवं अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। चाहे वह विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव को वापस लेने का अवसर हो या सत्ता पक्ष द्वारा पूर्व सरकार द्वारा लागू सी.सैट अधिनियम को विपक्ष के आग्रह पर राज्य हित में वापस लेना, दोनों ही प्रशंसनीय रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कार्य और आचरण से सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाये रखेंगे। आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहना चाहूंगी कि आप सभी आपसी दलीय भेद–भाव भुलाकर विगत सत्र की भांति प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभायेंगे एवं राज्य को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में आप सबों का सक्रिय सहयोग हमें प्राप्त होगा।

धन्यवाद !